न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय
12/34/2021	18–03–2021	21–03–2022

1. प्रभूदयाल पुत्र चन्दरराम जाति मीणा निवासी ग्राम धोलान, श्रीचन्दपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर

—: अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार टहला, तहसील राजगढ जिला अलवर।

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार टहला दिनांक 31.08.2020 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम, 1956 प्रकरण संख्या 545/2020

उपस्थित :–

01–श्री निरंजन लाल चौधरी एड0 — वकील अपीलाण्ट
01–राजकीय अभिभाषक — वकील रेस्पोडेन्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार टहला, तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2020 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम धौलान की सरकारी सिवायचक बारानी–3 भूमि आराजी खसरा नम्बर 229 रकबा 2.06 है0 में से 0.23 है0 पर अतिक्रमण किये जाने पर की गई बेदखली व पैनल्टी से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 229 कुल रकबा 2.06 है0 में से 0.23 है0 वाके ग्राम धोलान श्रीचन्दपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है, आराजी सिवायचक भूमि है जिस आराजी पर मिन अपीलान्ट करीब 30 वर्षो से काबिज दाखिल रहकर मकानात बनाकर रिहायश करता चला आ रहा है और अपनी जीविका पार्जन हेतु एक दुग्ध उत्पादन सककारी समिति लिमिटेड भी खोली हुई है। जिसका रजिस्ट्रेशन भी कराया हुआ है। सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन उक्त आराजी खसरा न0 229 पर ही

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

किया हुआ है, तथा विधुत कनेक्शन भी प्राप्त किया हुआ है। मिन अपीलार्थी के पास उक्त भूमि के अलावा रिहायश हेतु अन्य कोई आराजी नही है।

नायब तहसीलदार टहला द्वारा काफी वर्षो से मिन अपीलान्ट को आराजी खसरा न0 229 रकबा 0.23 है0 पर अतिक्रमी मानकर धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत नोटिस दिए जाते रहे है, और अपीलार्थी द्वारा पटवारी हल्का को लगान की राशि नियमित रूप से जमा करायी जाती रही है।

रेस्पोडेन्ट अपने अधिनस्थ कर्मियो को साथ लेकर दिनांक 01.03.2021 को वादग्रस्त आराजी खसरा न0 229 वाके ग्राम धोलान पर आए और अपीलार्थी के मकान की बाउण्ड्रीवाल को तोड दिया, अपीलार्थी की जायदाद को तोडने से पूर्व किसी प्रकार का कोई विधिक नोटिस तोडने बाबत नही दिया गया तथा दिनाक 01.03.2021 को रेस्पोडेन्ट ने ऐलानिया कहा की वह एक–दो दिन में आकर अपीलार्थी के मकान को बुल्डोजर से ध्वस्त कर अपीलार्थी को आराजी खसरा न0 229 से बेंदखल कर देगें।

अपीलार्थी ने काफी निवेदन किया की वह आराजी खसरा नम्बर 229 रकबा 2.06 है0 में से 0.23 है0 पर 40–50 वर्षो से काबिज दाखिल रहने से अपीलार्थी को आराजी खसरा नम्बर 229 की खातेदारी हक हकूक प्राप्त हो चुके है। अपीलार्थी नियमित रूप से लगान की जमा पर्ची भी जमा कराता चला आ रहा है। इस लिए अपीलार्थी के हक में आराजी खसरा न0 229 रकबा 0.23 वाके ग्राम धोलान श्रीचन्दपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर अपीलार्थी के हक में रेगुलाईज कर दी जावे जिस पर रेगुलाईज करने से अदालत ने मना कर दिया।

जिस पर अपीलार्थी ने तहत अदालत नायब तहसीलदार टहला के आदेश दिनाक 31.08.2020 की सत्यापित प्रतिलिपि दिनांक 09.03.2021 को प्राप्त की जाकर आदेश दिनाक 31.08.2020 से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय को पेश की है। तथा निवेदन किया है, कि वर्णित आराजी में बने मकानात व अन्य प्रकार के निर्माण ध्वस्त न करे, साथ ही बिना विधिक प्रकिया अपनाये बेदखली के आदेश/पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने तहत अदालत के आदेश दिनांक 31.08.2020 के विरूद्ध यह अपील न्यायालय हाजा को दिनांक 18.03.2021 को पेश की है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें न्यायालय की पत्रावली का एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं चिन्तन–मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 13.08.2020 के अनुसार सम्वत 2077 में अतिक्रमी को आराजी खसरा न0 229 रकबा 2.06 है0 मे से 0.23 है0 भूमि पर अतिक्रमण किया जाना दर्शाया गया है, तथा नायब तहसीलदार टहला से प्राप्त रिपोर्ट पत्र कंमाक 458 दिनाक 05.04.2021 के संलग्न भू0 अभिलेख निरीक्षक तालाब की रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमी श्री प्रभूदयाल पुत्र चन्दरराम मीना निवासी धौलान तहसील राजगढ को आराजी खसरा न0 229 रकबा 2.06 में से 0.23 है0 भूमि पर किये गये अतिक्रमण को पारित निर्णय दिनाक 31.08.2020 के अनुसार मौके

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

से बेदखल कर बेदखली की रिपोर्ट भिजवायी है, जिसके अनुसार वर्णित आराजी पर अतिकमण साबित होता है।

अपीलान्ट ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहा है जिससे यह सिद्ध होता हो की उक्त वाद ग्रस्त आराजी खसरा न0 229 रकबा 2.06 है0 में से 0.23 है0 भूमी गांव धौलान में अपीलान्ट खातेदार–काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है अतः दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.08.2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके मूल पत्रावली के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/03/2022

(वन्दना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
(द्वितीय) अलवर (राजस्थान)